विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि

724. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और प्रकाशन प्रभाग द्वारा विज्ञापनों पर भाषावार (प्रत्येक भाषा के लिए अलग-अलग) कितनी-कितनी धन राशि खर्च की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय और प्रकाशन विभाग द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का भाषावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वर्ष 1990-91 के दौरान भाषावार पत्र/पत्रिकाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	भाषा	राशि
1	2	3
1	अंग्रेजी	5,83,82,726 रुपये
2	हिन्दी	4,39,31,992 रुपये
3	उर्दू	59,12,107 रुपये
4	पंजाबी	31,22,284 रुपये
5	मराठी	71,29,440 रुपये
6	गुजराती	53,79,518 रुपये
7	सिंधी	3,25,126 रुपये
8	असमी	11,06,875 रुपये
9	बंगाली	72,46,055 रुपये
10	उड़ीया	21,07,893 रुपये
11	तमिल	46,30,986 रुपये
12	तेलगू	19,92,608 रुपये
13	मलयालम	57,80,180 रुपये
14	कन्नड़	19,89,346 रुपये
15	संस्कृत	704 रुपये
16	नेपाली	2,14,481 रुपये
17	मिजो	48,793 रुपये
18	खासी	10,406 रुपये
19	कोंकणी	24,729 रुपये

प्रत्येक पत्र/पत्रिका के सामने दिखाई गई राशि में पैसों को शामिल नहीं किया गया है ।

725. [*Transferred to 30th July, 1991*]

Inclusion of Scheduled Castes and minorities in Selection Committees

726. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have decided to include one person each from the Scheduled Castes and minorities in Selection Committees of various Departments of the Central Government; and

(b) whether it is being followed; if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) and (b) Instructions were issued on 16th August, 1990 to provide that whereever a Selection Committee/Board exists or has to be constituted for making recruitment to 10 or more vacancies in Group 'C' or Group 'D' posts/ Services, it shall be mandatory to have one member belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and one member belonging to minority community in the Committee/Board.